झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com

पत्रांकः जे.सी.ई.आर.टी./प०08–08/2023/.....1506..... **राँची, दिनांक** 07/11/2025

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखंड।

विषय – शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 356 दिनांक 16.03.2024 के आलोक में कक्षा 01 से कक्षा 07 के विद्यार्थियों का अर्द्धवार्षिक परीक्षा माह दिसंबर 2025 में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 16 से 18 दिसम्बर 2025 के बीच दो पालियों में प्रातः 09:30 बजे से 03:00 बजे अपराह्न तक आयोजित की जानी है। परीक्षा की विस्तृत समय सारणी निम्नवत् है :–

पाली	प्रथम पाली							द्वितीय पाली						
समय	(09:30–12:00) पूर्वाह्न							(12:30–03:00) अपराह्न						
तिथि	कक्षा–01	कक्षा–02	कक्षा–03	कक्षा–04	कक्षा–05	कक्षा–06	कक्षा–07	कक्षा–01	कक्षा–02	कक्षा–03	कक्षा–04	कक्षा–05	कक्षा–06	कक्षा–07
16.12.2025	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	बांग्ला/उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	बांग्ला/उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	बांग्ला/उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	बांग्ला/उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	बांग्ला/उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक विज्ञान
17.12.2025	हिंदी,उर्दू	हिंदी,उर्दू	हिंदी,उर्दू	हिंदी,उर्दू	हिंदी,उर्दू	हिंदी, हिन्दी (दूर्वा)	हिंदी, हिन्दी (दूर्वा)	-----	-----	-----	-----	-----	विज्ञान	विज्ञान
18.12.2025	गणित	गणित	गणित	गणित	गणित	गणित	गणित	-----	-----	पर्यावरण अध्ययन	पर्यावरण अध्ययन	पर्यावरण अध्ययन	संस्कृत/ उर्दू/बांग्ला/ उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा	संस्कृत/ उर्दू/बांग्ला/ उड़िया/ अन्य जनजातीय भाषा

उक्त के आलोक में अर्द्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित आवश्यक तैयारी की जानी है। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 के आयोजन के सम्बन्ध में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं मॉडल विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. परीक्षा का आयोजन कक्षा 01 से कक्षा 07 हेतु होगा।
3. कक्षा 01 एवं कक्षा 02 की परीक्षा मौखिक होगी।
4. कक्षा 03 से कक्षा 07 के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय तथा दीर्घउत्तरीय प्रकार के होंगे।
5. मुद्रित प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा आयोजित होगी जिसमें छात्र/छात्राओं को उत्तर लिखना होगा।
6. प्रथम पाली की परीक्षा 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे पूर्वाह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 12:30 बजे अपराह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी।
7. कक्षा 03 से 05 तक के प्रत्येक विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित हैं।
8. कक्षा 06 से 07 तक प्रत्येक विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित हैं परन्तु गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक का लिखित तथा 10-10 अंक का प्रोजेक्ट कार्य (कुल 50+10=60) के लिए निर्धारित किया गया है।
9. सभी विषयों के प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका जे.सी.ई.आर.टी. द्वारा सभी जिलों के ई-मेल पर गूगल ड्राइव के माध्यम से (सॉफ्ट कॉपी) गोपनीयता बरतते हुए उपलब्ध कराया जाएगा।
10. जिला स्तर पर ही विहित प्रक्रिया के तहत निविदा के माध्यम से दर निर्धारित करते हुए प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका तथा रिपोर्ट कार्ड का मुद्रण जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
11. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में नामांकित कक्षा 01 से कक्षा 07 के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका तथा रिपोर्ट कार्ड का मुद्रण कराकर सम्बंधित विद्यालयों को परीक्षा तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका तथा रिपोर्ट कार्ड मुद्रण तथा परीक्षा से सम्बंधित अन्य कार्य हेतु प्रति विद्यार्थी रू 18/- की दर से राशि जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि में विद्यार्थियों की गणना कक्षा 03 से कक्षा 07 हेतु की जायेगी।
13. कक्षा 01 एवं 02 का मूल्यांकन मौखिक किया जाना है तथा इस हेतु प्रश्न पत्र का मुद्रण विषयवार एवं विद्यालयवार 02-02 प्रति में ही की जायेगी ताकि शिक्षक उक्त प्रश्न

पत्र के आधार पर कक्षा 01 से 02 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। कक्षा 01 एवं 02 हेतु जिलावार विद्यालयों की संख्या x प्रति विषय (तीन विषय) x दो प्रति हेतु रु0 02–02/– की दर से व्यय की जा सकेगी जबकि कक्षा 01 एवं 02 के कुल छात्र संख्या के आधार पर रु0 03/– रिपोर्ट कार्ड हेतु व्यय की जा सकेगी।

14. अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025–26 की प्रतिदिन की परीक्षा समाप्ति के पश्चात् विद्यालयवार एवं कक्षावार नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या तथा परीक्षा में शामिल हुए छात्र/ छात्राओं की संख्या से सम्बंधित प्रतिवेदन ई–विद्यावाहिनी पोर्टल में उपलब्ध विहित प्रारूप में संबंधित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. संथाली, हो, खड़िया, मुंडारी, कुडुख विषयों हेतु कक्षावार प्रश्न–पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किये जायेंगे।
16. अर्द्धवार्षिक परीक्षा–2025–26 का मूल्यांकन कार्य विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
17. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / अवर विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में विद्यालय में मूल्यांकन कार्य संपादित होगा।
18. मूल्यांकन कार्य दिनांक 19 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक संचालित होगा तथा विद्यार्थियों का परिणाम दिनांक 05 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से विद्यालय स्तर पर घोषित किया जाएगा।
19. अर्द्धवार्षिक परीक्षा–2025–26 का परिणाम तथा विद्यार्थियों के बीच रिपोर्ट कार्ड वितरण हेतु विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की संगोष्ठी आयोजित की जायेगी।
20. दिनांक 10 जनवरी 2026 तक विद्यालय द्वारा, कक्षावार, विषयवार, छात्र–छात्रावार प्राप्तांक ई–विद्यावाहिनी पोर्टल में उपलब्ध विहित प्रारूप में संबंधित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
21. जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025–26 के सफल एवं ससमय संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।
22. मध्याह्न भोजन योजना का संचालन दो पाली के बीच जो अन्तराल रखा गया है उसी समयावधि में किया जायेगा।
23. परीक्षा तिथि को शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं डायट के संकाय सदस्यों द्वारा परीक्षा का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
24. जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण हेतु व्यापक व्यवस्था की जायेगी ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025–26 हेतु विद्यालयों में पाठ्यक्रम पुनरावृति सहित सभी आवश्यक तैयारी (यथा – प्रचार प्रसार / निविदा

आदि) ससमय पूर्ण करते हुए परीक्षा का संचालन सुनिश्चित किया जाय। पत्र निर्गत तिथि के दो दिनों के अन्दर उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में कक्षावार/ विषयवार छात्र– छात्राओं की संख्या के आधार पर राशि की गणना करते हुए राशि की मांग इस कार्यालय से अनिवार्य रूप से करेंगे। इस सम्बन्ध में शीघ्र VC का आयोजन कर अन्य आवश्यक सूचनाएं दी जायेंगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शशि रंजन)
निदेशक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.आर.टी./प०08–08/2023/1506 **राँची , दिनांक** 07/11/2025

प्रतिलिपिः

1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सलाहकार–आकलन, सहायक निदेशक, उप निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आकलन कोषांग, जेसीईआरटी राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्राचार्य, सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित

06/11/25
(शशि रंजन)
निदेशक